न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारी–पवन कुमार (आर.ए.एस.)
वाद संख्याः–16/2020

1. जसपालसिंह पुत्र अर्जनसिंह उम्र 53 वर्ष
2. महेन्द्रसिंह पुत्र अर्जनसिंह उम्र72 वर्ष
3. जोगेन्द्र सिंह पुत्र जगराजसिंह उम्र 40 वर्ष
4. जसकरणसिंह पुत्र जगराज सिंह उम्र 53 वर्ष
5. निशानसिंह पुत्र दर्शनसिंह उम्र 32 वर्ष
6. हरदीपसिंह पुत्र दर्शनसिंह उम्र 30 वर्ष
7. गुरभेजसिंह पुत्र जोरासिंह उम्र 32 वर्ष
8. जरनैलसिंह पत्नी जोरासिंह उम्र 63 वर्ष
   अकवाम जटसिख सकनाऐ 3 एसपीएस (ढाणी) सलेमपुरा तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर

——प्रार्थीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व), अनूपगढ़
2. सरजीतसिंह पुत्र टेकसिंह जाति मजबी उम्र 45 वर्ष निवासी 17 एसजेएम ए तहसील अनूपगढ जिला श्री गंगानगर

———अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 भू.राजस्व अधिनियम एवं सपठित धारा 151 सीपीसी

दिनांक–12.01.2021

::निर्णय::

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण सं.–1ता6 व जोरासिंह पुत्र अर्जनसिंह के नाम से चक 3 एसपीएस तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नम्बर 32 पत्थर सं. –285/372, मुरब्बा नम्बर 33 पत्थर सं.–285/373, मुरब्बा, मुरब्बा नम्बर 4 पत्थर सं–286/367, मुरब्बा नं.–11 पत्थर सं.7286/368, मुरब्बा नम्बर 28 पत्थर सं.–286/371, मुरब्बा नं.–31 पत्थर सं.–286/372, मुरब्बा नम्बर 5 पत्थर सं.–287/367, मुरब्बा नम्बर 12 पत्थर सं.287/368, मुरब्बा नं.–17 पत्थर सं.–287/369, मुरब्बा नं.–18 पत्थर सं.–288/369 की कुल 47.318 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड संयुक्त रूप से दर्ज है। प्रकरण में जोरासिंह पुत्र अर्जनसिंह का देहान्त हो चुका है जिसके विधिक वारिस गुरभेजसिंह व जरनैलकौर है जमावंदी की प्रमाणित प्रतियां संलग्न है इस प्रकरण में मुरब्बा नम्बर 33 पत्थर सं.–285/373 के किला नम्बर 25 को लेकर दो बार प्रविष्ठि का विवाद है अर्थात अप्रार्थी सं.–2 की कृषि भूमि चक 17 एसजेएम ए का मुरब्बा नम्बर 6 पत्थर सं.–285/373 के किला नं.–25 में दर्ज भूमि को विवादित भूमि कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण को अर्जनसिंह पुत्र मुकन्दसिंह से विरासतन प्राप्त हुई है तथा अप्रार्थी सं. –2 का उपरोक्त भूमि टेकसिंह पुत्र नानकसिंह से [illegible] प्राप्त हुई है। प्रार्थीगण के नाम से दर्ज कृषि भूमि में मुरब्बा नम्बर 33 पत्थर सं. 285/373 के किला नम्बर 25 का 0.126 हैक्टर भूमि दर्ज है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी सं.–2 के नाम से भी इसी मुरब्बा यानि चक 17 एसजेएम ए तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नम्बर 6 पत्थर सं.–285/373 के किला नम्बर 25 में [illegible] हैक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.03.04 11:43:11 IST
Reason: Self Attested

Scanned with CamScanner

कृषि भूमि होना राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है इस संबंध में प्रार्थीगण के पिता/दादा अर्जनसिंह द्वारा एक नियमित वाद सहायक कलेक्टर, अनूपगढ़ के समक्ष वाद सं.–473/1988 अन्तर्गत धारा 188, 88 राज.काश्त.अधिनियम प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 21.04.1990 का निर्णित एवं डिक्रित फरमाया गया था जिसमे निम्न आदेश पारित किया गया कि वाद ग्रस्त भूमि वाके चक 3 एसपीएस हाल चक 17 एसजेएम ए मुरब्बा सं.–285/373 के किला नम्बर 25 के 10 बिस्वा पर प्रतिवादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी को पाबंद किया जाता है कि वह वादी की शांतिपूर्वक कब्जा काश्त की दर्ज भूमि में किसी तरह की दखलन्दाजी न स्वयं करें न ना किसी अन्य से करावे। उपरोक्त निर्णय एवं डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ को भी प्रेषित की गई लेकिन आज रोज तक अप्रार्थी सं.–2 की भूमि में से किला नम्बर 25 की 10 बिस्वा भूमि कम नही की गई है जबकि मौका पर प्रार्थीगण अपने किला नम्बर 25 के 0.126 हैक्टर पर काबिज है इन परिस्थियों में अप्रार्थी सं.–2 के नाम से आज भी दर्ज किला नम्बर 25 की 10 बिस्वा भूमि की प्रविष्ठि गलत है जिसको कम किया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–2 बावजूद सम्यक् तामील न तो न्यायालय के समक्ष स्वयं एवं न ही जरिए प्लीडर उपस्थित हुआ इसलिए अप्रार्थी संख्या–02 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने अनुतोष चाहा है कि अप्रार्थी सं.–2 के नाम की कृषि भूमि वाके चक 17 एसजेएम ए तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं. 6 पत्थर सं.–285/373 के किला नं.–25 की 10 बीस्वा यानि 0.126 हैक्टर भूमि कम किए जाने के अप्रार्थी सं.–1 को आदेश प्रदान किए जावें। एक नियमित वाद सहायक कलेक्टर अनूपगढ़ के समक्ष वाद सं.–473/1988 अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीएक्ट का प्रस्तुत हुआ था जो दिनांक 21.04.1990 को निर्णित एवं डिक्रित फरमाया गया जिसमें आदेश पारित किया गया कि वादग्रस्त भूमि वाके चक 3 एसपीएस हाल चक 17 एसजेएम ए का मुरब्बा नं.–285/373 के किला नं.–25 की 10 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी सं.–1 को पाबंद किया जाता है कि वादी के शांतिपूर्वक कब्जा काश्त की दर्ज भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करें और न किसी अन्य से करवायें। उपरोक्त डिक्री दिनांक 21.04.1990 की प्रति अभिलेख पर है। उक्त डिक्री आवंटन पत्रावली से बाद की है तथा जब नियमित वाद में प्रार्थीगण के पिता दादा अर्जनसिंह को उपरोक्त किला नं.–25 के 10 बिस्वा [illegible] 0.126 हैक्टर भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जा चुका है। लेकिन [illegible] की पालना आज रोज तक नही की। नैसर्गिक न्याय के [illegible] तकनीकी दृष्टि से अगर माननीय न्यायालय इस नतीजे पर पहुँचती है कि प्रकरण धारा 1[illegible] के प्रावधानों में कवर नही होता तो प्रकरण मे 21.04.1990 के निर्णय एवं डिक्री को मध्यनजर रख न्यायालय धारा 151 सीपीसी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.03.04 11:43:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तहत अर्न्तनिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये वांछित अनुतोष प्रार्थीगण को प्रदान कर सकता है जवाब स्टेट में भी स्टेट ने प्रार्थीगण के पक्ष को सही मानकर वांछित अनुतोष प्रदत किए जाने की इस्तदुआ की है। विकल्प के तौर पर माननीय न्यायालय धारा 136 एलआरएक्ट के तहत वांछित अनुतोष प्रदत करना मुनासिब ना समझे तो इस प्रार्थना पत्र के जरिऐ प्रार्थीगण को वांछित अनुतोष प्रदत किया जावे व अप्रार्थी सं.–2 के नाम की कृषि भूमि वाके चक 17 एसजेएम ए तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–6 पत्थर सं.–285/373 के किला नं.–25 की 10 बिस्वा यानि 0.126 हैक्टर भूमि कम किए जाने के अप्रार्थी सं.–1 को आदेश प्रदान किए जावें।

पत्रावली में संलग्न तहसीलदार रिपोर्ट, तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन किया गया। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट चक 3 एसपीएस के खाता सं 17 में कुल 47.318 हैक्टर रकबा में से प्रार्थी जसपालसिंह पुत्र अर्जनसिंह जाति जटसिख के नाम से 7.886 हैक्टर रकबा दर्ज रिकॉर्ड है। इस खाते में प. नं. 285/373 मु.नं. 33 का 3.162 हैक्टर रकबा का अंकन है जो मौका अनुसार भी सही है। इस प. नं. 285/373 को किला नं. 1 से 25 तक सीधा तिकोना (कुतर) बनाया गया है जिसका उतर–पूर्व की तरफ का भाग चक 3 एसपीएस में तथा दक्षिणी पश्चिमी भाग चक 17 एसजेएम–ए में आता है। चक 3 एसपीएस का जमाबन्दी में दर्ज रकबा व मौका पर रकबा का सही मिलान होता है । परन्तु चक 17 एसजेएम में कुल 3.163 हैक्टर रकबा दर्ज होना चाहिए परन्तु इस चक के खाता सं. 71 में प.नं. 285/373 में 3.922 रकबा दर्ज है व किला नं. 21 ता 25 में 0.126 हैक्टर रास्ता दर्ज है इस प्रकार इस चक में कुल 4.048 हैक्टर रकबा दर्ज है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती का दर्ज करवाने संबंधी स्वीकार योग्य होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि चक 17 एसजेएम ए तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–6 पत्थर सं.–285/373 का किला नम्बर 25 की कुल 10 बीस्वा यानि 0.126 हैक्टर भूमि कम कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें। अप्रार्थी सं.–01 तहसीलदार अनूपगढ को उक्त आदेश को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने हेतु तहरीर अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12/01/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pavan Kumar
Date: 2021.03.04 11:43:11 IST
Reason: SelfAttested

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ

Scanned with CamScanner